श्रीमन्त सरदार भुजंगराव

दौलतराव घोरपडे

बनाम

श्रीमन्त मालोजीराव दौलतराव

घोरपेड और अन्य

[पतंजलि शास्त्री मुख्य न्यायाधिपति, दास और विवियन बॉस न्यायाधिपति]

बॉम्बे राजस्व क्षेत्राधिकार अधिनियम (1876 का X), धारा 4 (क)-सरनजम-अनुदान प्राप्तकर्ता के परिवार की शाखाओं के बीच विवाद-सरकार उत्तराधिकार को विनियमित करने वाला प्रस्ताव - प्रस्ताव को अधिकारातीत घोषित करने के लिए वाद, सरंजमदार के रूप में एकमात्र अधिकार की घोषणा के लिए, और अन्य शाखाओं के खिलाफ निषेधाज्ञा के लिए-सरकार को पक्ष के रूप में शामिल किया गया- वाद की पोषणीयता।

गजेंद्रगढ़ संपदा की स्थिति जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा सरंजम के रूप में पुनर्गठित किया गया था और जिसे 1868 में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा इसे विभाज्य घोषित किया गया था, 1891 में इसकी फिर से जांच की गई और सरकार ने 1891 में एक प्रस्ताव पारित किया कि "पूरी गजेंद्रगढ़ संपदा शब्द के पूर्ण अर्थ में वंशानुगत के रूप में एक निरंतर सरंजम थी।

यह ब्रिटिश विजय के समय धारक के सभी वैध वंशज पुरुषों के लिए जारी है। 1932 में एक अन्य प्रस्ताव द्वारा सरकार ने औपचारिक रूप से अनुदान को फिर से शुरू किया और इसे मूल अनुदान प्राप्तकर्ता के परिवार की पहली शाखा से संबंधित वादी को इस निर्देश के साथ फिर से प्रदान किया कि इसे कलेक्टर के खातों में उसके एकमात्र नाम पर दर्ज किया जाना चाहिए। अन्य दो शाखाओं ने व्यथित महसूस किया और 1936 में सरकार ने एक और प्रस्ताव पारित किया जिसने 1891 के प्रस्ताव की पुष्टि की और 1932 के प्रस्ताव को संशोधित किया, यह घोषणा करते हुए कि शाखाओं द्वारा धारित संपत्ति को वास्तविक हिस्सों के रूप में दर्ज किया जाएगा और प्रत्येक हिस्सा वंशानुगत रूप से निरंतर मूल्यवान होगा जैसे कि यह एक अलग सरंजम संपत्ति हो। वादी ने अन्य दो शाखाओं के प्रतिनिधियों को प्रतिवादी 1 और 2 के रूप में और बॉम्बे प्रांत को तीसरे प्रतिवादी के रूप में शामिल करते हुए एक मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि 1936 का प्रस्ताव अधिकार से बाहर था और (क) एक घोषणा के लिए प्रार्थना की (i) कि प्रतिवादी 1 और 2 को 1932 के प्रस्ताव के पीछे जाने का कोई अधिकार नहीं था, जिसके तहत वादी को एकमात्र सरंजमदार के रूप में मान्यता दी गई थी और यह कि प्रतिवादियों द्वारा किए गए कार्यों को उनके द्वारा केवल पोटगी धारकों के रूप में अभिनिर्धारित किया गया था, (ii) कि वादी को सरंजमदार के पद से संबंधित सभी विशेषाधिकारों का

एकमात्र अधिकार था, और (iii) कि सरकार को 1932 के प्रस्ताव को बदलने का कोई अधिकार नहीं था, और (ख) प्रतिवादी 1 और 2 को वादी के उपरोक्त अधिकार के उल्लंघन में कोई भी कार्य करने से रोकने के लिए।

अभिनिर्धारित किया गया, (i) कि मुकदमा "क्राउन के खिलाफ" एक मुकदमा था और धारा 4 बॉम्बे राजस्व क्षेत्राधिकार अधिनियम, 1876 के अन्तर्गत "सरंजम के रूप में धारित भूमि से संबंधित" वाद भी थाऔर दीवानी न्यायालयों को मुकदमे पर विचार करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था।

(ii) कि वादी को अकेले प्रतिवादी 1 और 2 के खिलाफ राहत भी नहीं दी जा सकी क्योंकि इन प्रतिवादियों के खिलाफ दावा किए गए अधिकारों को सरकार के खिलाफ दावे से अलग नहीं किया जा सकता था और अलग से विचार नहीं किया जा सकता था;

(iii) किसी भी तरह, यदि सरकार के खिलाफ दावे को नजरअंदाज किया जाना है तो यह केवल इस आधार पर हो सकता है कि उसके आदेशों को चुनौती नहीं दी जा सकती है और यदि आदेश कायम रहते हैं तो यह स्पष्ट है कि वादी को सफलता की कोई उम्मीद नहीं हो सकती है क्योंकि दोनों पक्ष उन आदेशों के आधार पर अपनी-अपनी संपत्तियों को रखते हैं।

बासलिंगप्पगौड़ा बनाम राज्य सचिव (28 बॉम. एल.आर 651) और बसनगौड़ा बनाम राज्य सचिव (32 बॉम. एल. आर. 1370) स्वीकृत। बम्बई प्रांत बनाम होर्मुसजी मानेकलाल (74 आई. ए. 103) प्रतिष्ठित।

यह भी अभिनिर्धारित किया गया धारा 4 उक्त अधिनियम लागू होगा, भले ही सरकार के खिलाफ मुकदमे में दावा की गई राहत केवल एक घोषणा थी।

दत्तात्रेय विश्वनाथ बनाम भारत के राज्य सचिव (आई. एल. आर. 1948 बॉम. 809) अस्वीकृत। दौलतराव बनाम। बॉम्बे की सरकार (47 बम। एल. आर. 214) स्वीकृत।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 11/1950

बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय और डिक्री दिनांक 16 दिसंबर, 1948 में 1945 की दूसरी अपील संख्या 1226 जिसमें जिला न्यायाधीश धारवाड़ के 1943 की अपील सं. 123 के निर्णय और डिक्री की पुष्टि की गयी, से अपील। प्रकरण के तथ्य व अधिवक्ताओं के तर्क निर्णय में प्रस्तुत हैं।

बी. सोमय्या और संजीव राव नायडू (एन. सी. शॉ, उनके साथ) अपीलार्थी के लिए।

एम. सी. सीतलवाड़, भारत के महान्यायवादी (वी. एन. लोकुर, उनके साथ) प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के लिए।

एम. सी. सीतलवाड़, भारत के महान्यायवादी (जी. एन. जोशी, उनके साथ) प्रत्यर्थी संख्या 3 (बॉम्बे राज्य) के लिए।

1952. जनवरी 30 । निर्णय बोस जे. पतंजलि शास्त्री सी. जे. द्वारा दिया गया था और दास जे. बोस जे के साथ सहमत हुए।

बोस जे. -वादी अपील करता है।

यह मुकदमा बंबई राज्य में सरंजम संपत्ति से संबंधित है। वादी एकमात्र सरंजमदार होने का दावा करता है और ऐसे दावे के लिए उपयुक्त कुछ घोषणाएं और अन्य राहत चाहता है।

पहला और दूसरा प्रतिवादी वादी के परिवार के सदस्य हैं जबकि तीसरा प्रतिवादी बॉम्बे राज्य (मुकदमे की तारीख पर बॉम्बे प्रांत) है।

एकमात्र सवाल यह है कि क्या मुकदमा 1876 के बॉम्बे एक्ट एक्स (बॉम्बे राजस्व क्षेत्राधिकार अधिनियम) की धारा 4 (क) द्वारा वर्जित है।

निम्नलिखित वंशावली वृक्ष पक्षकारों के बीच संबंध दिखाएगा:

भुजंगराव अप्पासाहेब

(ब्रिटिश अनुदान प्राप्तकर्ता)

|

दौलतराव प्रथम

(मृत्यु 24-7-1864)

|	|	|
भुजंगराव प्रथम (मृत्यु1881)	मालोजीराव	यशवन्तराव उर्फ अन्नासाहेब
|	|	|
(विधवा)कृष्णाबाई दौलतराव द्वितीय (मृत्यु 8-5-1931)	दौलतराव तृतीय (प्रतिवादी 1)	भुजंगराव द्वितीय (प्रतिवादी 2)
|		
भुजंगराव तृतीय (वादी)		

तथ्य इस प्रकार हैं। वर्तमान पक्षकारों के एक उभय-निष्ठ पूर्वज को अंग्रेजों के आगमन से कुछ समय पहले सरंजम के रूप में गजेंद्रगढ़ संपत्ति दी गई थी। जब वे पहुंचे तो उन्होंने फैसला किया कि जहां तक संभव हो, ऐसे सरंजम, जागीर और इनाम को जारी रखा जाए जो पहले के शासकों द्वारा दिए गए थे, और तदनुसार उन्होंने अनुसूची बी, नियम 10 बॉम्बे अधिनियम XI 1852 (बॉम्बे रेंट फ्री एस्टेट एक्ट 1852) के तहत नियम बनाए सरंजमों को मान्यता देने के तरीके और कार्यकाल के उत्तराधिकार और शर्तों को विनियमित करने के लिए, जो जागीर के समान हैं। इसके

अनुपालन में, ऊपर दिए गए वंशावली वृक्ष के शीर्ष पर दिखाए गए उभय-निष्ठ पूर्वज को ब्रिटिश सरकार द्वारा गजेंद्रगढ़ संपत्ति के सरंजमदार के रूप में मान्यता दी गई थी। सुविधा के लिए उसे ब्रिटिश ग्रांटी कहा जा सकता है। रजिस्टर पूर्व. पी-53 से पता चलता है कि संपत्ति में 26 गाँव शामिल थे। हमें ब्रिटिश मान्यता की तारीख तो नहीं मालूम लेकिन कार्यकाल की प्रकृति का वर्णन इस प्रकार है:-

> "ब्रिटिश विजय के समय धारक के सभी पुरुष वैध वंशजों के लिए जारी, अर्थात्, भुजंगराव अप्पासाहेब, पहले ब्रिटिश ग्रांटी, बहिरोजीराव घोरपड़े के पुत्र।"

ब्रिटिश ग्रांटी (भुजंगराव अप्पासाहेब) की मृत्यु के बाद उनका पुत्र दौलतराव प्रथम गद्दी पर बैठा, जिसकी 24 जुलाई, 1864 को मृत्यु हो गई। दौलतराव प्रथम के तीन पुत्र बचे, भुजंगराव प्रथम, यशवंतराव और मालोजीराव।

वर्ष 1866 में भुजंगराव प्रथम और उनके भाई यशवंतराव उर्फ अन्नासाहेब ने इस सरंजम पर कब्जे के लिए मालोजीराव पर मुकदमा दायर किया। अविभाज्यता का प्रश्न उठाया गया था लेकिन बॉम्बे उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि ब्रिटिश भारत में संपत्ति विभाज्य थी। उन्होंने आगे घोषणा की कि भुजंगराव प्रथम परिवार का मुखिया था और इस तरह वह एक विशेष समनुदेशन का हकदार था, जो कि उसके पद के आधार पर

उसे सौंपे जाने वाले खर्चों और कर्तव्यों के लिए एक चौथाई हिस्से से अधिक नहीं था, और इस एक चौथाई हिस्से को अलग करने के पश्चात, तीनों भाइयों में से प्रत्येक भाई, भारत में ज़मीन-जायदाद में बराबर एक-तिहाई हिस्से का हकदार था। यह निर्णय 5 बॉम. एच.सी.आर 161. में रिपोर्ट किया गया है। पृष्ठ 170 पर प्रगणित कर्तव्यों में शामिल हैं, "गजेंद्रगढ़ के किले के लिए सशस्त्र अनुचरों की देखभाल करना, और उस गांव के सुधार के लिए, जो घोरपड़े परिवार की इस शाखा की मुख्य सीट थी, और औपचारिक अवसरों पर परिवार के कनिष्ठ सदस्यों को पारंपरिक उपहार वितरित करना था।" निर्णय दिनांक 12 अक्टूबर, 1868 है।

परिणामस्वरूप संपत्ति का विभाजन हुआ। मालोजीराव ने खुद को अपने भाइयों से अलग कर लिया और उन्हें सात गाँव आवंटित किए गए। अन्य दो भाई संयुक्त रूप से आगे बढ़ते रहे और शेष ले लिया। लेकिन यह केवल ब्रिटिश भारत में स्थित संपत्ति के संबंध में था। पक्षकारों के पास कोल्हापुर राज्य में भी संपत्ति थी। वह अविभाजित छोड़ दी गयी ।

भुजंगराव प्रथम की 1881 में मृत्यु हो गई और उनके छोटे भाई यशवंतराव (उर्फ अन्नासाहेब) ने उनके एकमात्र उत्तराधिकारी होने का दावा किया। भारत सरकार के राजनीतिक विभाग ने इस दावे को मान्यता देने से इनकार कर दिया और भुजंगराव प्रथम की विधवा कृष्णाबाई को परिवार से एक लड़के को गोद लेने की अनुमति दी और उसे संपत्ति के उस हिस्से

के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी जो कोल्हापुर रियासत के भीतर था। यह 3 फरवरी 1882 को था।

बम्बई सरकार ने ब्रिटिश भारत में संपत्ति के संबंध में इसी प्रकार का मार्ग अपनाया। 26 अप्रैल, 1882 को उन्होंने निम्नलिखित निर्णय को शामिल करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया:

(1) दत्तक ग्रहण को मान्यता दी जानी थी और अनुकूलित पुत्र को अपने दत्तक पिता के समान पद पर कब्जा करना था, यानी, उसे संपत्ति का एक तिहाई हिस्सा और साथ ही परिवार के मुखिया के रूप में उसे दी गई जिम्मेदारी भी मिलनी थी। .

(2) मालोजीराव, जिन्होंने पहले ही संपत्ति में अपना हिस्सा ले लिया था, को कब्ज़ा जारी रखना था।

(3) यशवंतराव (उर्फ अन्नासाहेब) को गोद लिए गए लड़के के साथ रहने या अलग होने का विकल्प दिया गया था।

अंत में, प्रस्ताव का निष्कर्ष निकाला गया -

> "उच्च न्यायालय की डिर्की के आधार पर दोनों भाई अपने-अपने हिस्से को अपनी निजी संपत्ति के रूप में रखेंगे और जागीर अब से भुजंगराव को उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए हिस्से तक ही सीमित रहेगा, जो अब दत्तक पुत्र को

विरासत में मिलेगा। हालांकि, ऐसा स्पष्ट रूप से समझा जाए कि उच्च न्यायालय के फैसले को एक पूर्व निर्णय के रूप में नहीं रखा जाएगा और जागीर संपत्ति जो दत्तक पुत्र को जारी होगी, के विभाजन की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

उसी वर्ष 22 अगस्त, 1882 को सरकार द्वारा इस स्थिति पर जोर दिया गया था। कृष्णाबाई, जिन्हें सरकार ने दौलतराव द्वितीय को गोद लेने की अनुमति दी थी, ने अनुरोध किया कि संपत्ति में उनके पति की एक तिहाई हिस्सेदारी को भी उसी तरह निजी संपत्ति माना जाए जैसे अन्य भाइयों के हिस्से। यह प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई और सरकार ने कहा:

"यह स्पष्ट रूप से समझा जाए कि सरकार ने उन्हें गोद लेने की अनुमति केवल भुजंगराव के एक तिहाई हिस्से के लिए साथ-साथ परिवार के मुखिया के रूप में उन्हें सौंपे गए हिस्से को अविभाज्य जागीर संपत्ति के रूप में पुरुष की पंक्ति में रखते हुए दत्तक पुत्र को जारी रखेगी। ज्येष्ठाधिकार के क्रम में उत्तराधिकारी और कृष्णाबाई द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान इसका आनंद लेने के लिए किसी भी तरह की कोई शर्त नहीं है।"

सरकार द्वारा 1891 में स्थिति की पुनः जांच की गई और उसका निर्णय 17 मार्च, 1891 के निम्नलिखित संकल्प में शामिल किया गया:

"सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा गजेंद्रगढ़ एस्टेट सारंजम है, जो यहां शब्द के पूर्ण अर्थ में जारी है, जैसा कि निदेशक न्यायालय ने अपने डिस्पैच नंबर 27 दिनांक 12 दिसंबर, 1855 के पैराग्राफ 9 में व्याख्या की है। यह ब्रिटिश विजय के समय धारक के सभी वैध वंशज पुरुषों के लिए जारी है। और यदी सरकार को कभी भी गोद लेने की मंजूरी देनी हो, तो मंजूरी की शर्तें वही होगी जो सरंजमदारों पर लागू होंगी। संपत्ति को राजनीतिक विभाग में अन्य सरंजमों की तरह निपटाया जाना चाहिए।"

वर्ष 1901 में दत्तक पुत्र दौलतराव द्वितीय ने यशवंतराव के पुत्र भुजंगराव द्वितीय पर बंटवारे का मुकदमा दायर किया। याद होगा कि 1866 का मुक़दमा, जो 5 बोम. एच.सी.आर 161. में रिपोर्ट किए गए बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले में ख़त्म हुआ था, मालोजीराव अकेले अलग हो गए और अन्य दो भाई संयुक्त बने रहे। 1901 के मुकदमे ने उस स्थिति को समाप्त कर दिया। 12 मार्च, 1908 को उच्च न्यायालय के फैसले से यह स्पष्ट हो गया कि चूंकि सरकार उस मुकदमे में पक्षकार नहीं थी, इसलिए किसी एक या दोनों पक्षों के खिलाफ उसके अधिकार प्रभावित नहीं हुए। लेकिन दोनों पक्षों के बीच परस्पर संबंध होने के कारण वे पिछले निर्णय से बंधे हुए थे और इसलिए दत्तक ग्रहणकर्ता ऐसी संपत्तियों के विभाजन और अलग कब्जे

का हकदार था जो उसके हिस्से में आ सकती थीं। यह फैसला आने के बाद दोनों ने सौहार्दपूर्ण ढंग से संपत्ति का आपस में बंटवारा कर लिया।"

वर्ष 1930 के आसपास गजेंद्रगढ़ जागीर के चौदह गांवों में अधिकारों का एक रिकॉर्ड पेश किया गया और परिवार की तीन शाखाओं के बीच फिर से विवाद खड़ा हो गया। जिला उपजिलाधिकारी ने अभिलेखों का निरीक्षण करने के बाद पाया कि "अकेले खातेदार सरंजमदार का नाम ही गांव के इनाम रजिस्टर, सरंजम सूची और भूमि हस्तांतरण रजिस्टर में जगह पाया गया है।" जबकि अन्य गाँव के अभिलेखों में परिवार के विभिन्न सदस्यों को "वास्तविक वहीवत या भोग" के अनुसार दर्ज किया गया था।

उचित विचार के बाद उन्होंने सोचा कि उसी स्थिति को जारी रखने की अनुमति देने से सरकार और सरंजमदार के हितों की पर्याप्त सुरक्षा होगी। उन्होंने तदनुसार प्रविष्टियाँ करने का आदेश दिया। आदेश से यह भी पता चलता है कि मामला बॉम्बे सरकार के कानूनी अनुस्मारक को भेजा गया था।

इस बीच, 5 मई, 1898 को, बॉम्बे रेंट फ्री एस्टेट एक्ट, 1852 की अनुसूची बी, नियम 10 के तहत बनाए गए नियमों का एक सेट तैयार किया गया और बॉम्बे गजट में प्रकाशित किया गया। इन नियमों को संभवतः कुछ संशोधनों के साथ 8 जुलाई 1901 के राजपत्र में पुनः प्रकाशित किया गया था। यहां लागू अंश इस प्रकार थे:-

"I. सरंजाम आमतौर पर प्रत्येक मामले में सरकार द्वारा पहले ही पारित निर्णय के अनुसार जारी रखा जाएगा।

II. एक सरंजाम, जिसे वंशानुगत रूप से जारी रखने का निर्णय लिया गया था, आमतौर पर सबसे बड़े पुरुष प्रतिनिधि के लिए, वंशानुक्रम के क्रम में, परिवार की वरिष्ठ शाखा के पहले ब्रिटिश अनुदान प्राप्तकर्ता या उसके किसी भाई के वंशज होंगे जो हित में अविभाजित थे। लेकिन सरकार पर्याप्त कारणों से उक्त परिवार के किसी अन्य सदस्य को या सरकार की मंजूरी से उसी परिवार में गोद लिए गए किसी व्यक्ति को अनुग्रह के रूप में सरंजाम जारी रखने का निर्देश देने के अपने अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है।

* * * * *

V. प्रत्येक सरंजम को जीवन संपत्ति के रूप में रखा जाएगा। इसे धारक की मृत्यु पर औपचारिक रूप से फिर से शुरू किया जाएगा और जिन मामलों में यह आगे जारी रखने में सक्षम है, इसे किसी भी ऋण या शुल्क से मुक्त सरकार से नए अनुदान के रूप में अगले धारक को सौंप दिया जाएगा, सिवाय इसके कि विशेष रूप से सरकार द्वारा ही लगाया गया।

VI. कोई भी सरंजाम का उपविभाजन नहीं हो सकेगा।

VII. प्रत्येक सरंजमदार ..." (नियम में सूचीबद्ध परिवार के कुछ सदस्यों) के भरण-पोषण के लिए उपयुक्त प्रावधान करने के लिए जिम्मेदार होगा।

* * * * *

IX. यदि नियम VII के तहत सरकार द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं किया जाता है, तो सरकार, जो भी कारण हो, सरंजाम या उसके एक हिस्से को फिर से शुरू करने का निर्देश दे सकती है... सरंजमदार के परिवार के सदस्यों के लिए भरण-पोषण प्रावधान फिर से शुरू किए गए सरंजाम के राजस्व से सरकार द्वारा किया जाएगा।"

20 मई, 1930 को जिला उप कलेक्टर के आदेश पारित होने के बाद, 8 मई, 1931 को दौलतराव द्वितीय की मृत्यु हो गई और मामला फिर से सरकार द्वारा उठाया गया। इस बार इसने 7 जून, 1932 को निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव का शीर्षक था "सरंजम सूची के 91वें नंबर पर खड़े गजेंद्रगढ़ सरंजम को फिर से शुरू करना और पुनः स्थापित करना।" यह है -

" प्रस्ताव:-गवर्नर-इन-काउंसिल यह निर्देश देते हुए प्रसन्न हैं कि गजेंद्रगढ़ सरंजम को औपचारिक रूप से फिर से शुरू किया जाना चाहिए और मृतक सरंजमदार सरदार दौलतराव भुजंगराव घोरपड़े के सबसे बड़े पुत्र भुजंगराव दौलतराव घोरपड़े को फिर से सौंप दिया जाना चाहिए और इसे उनके एकमात्र नाम पर दर्ज किया जाना चाहिए धारवाड़ के कलेक्टर के खाते अंतिम धारक की मृत्यु की तारीख से प्रभावी होंगे। कलेक्टर को सरंजमदार को सरंजम संपत्ति के उन गांवों पर कब्जे के लिए कदम उठाना चाहिए जो मृतक सरंजमदार के कब्जे में थे।

2. गवर्नर-इन-काउंसिल आयुक्त, दक्षिणी डिवीजन से सहमत हैं, कि भाउबंदों द्वारा पोटगी धारकों के रूप में रखे गए कार्यभार उन्हें वर्तमान की तरह जारी रखे जाने चाहिए।"

प्रस्ताव में उल्लिखित भुजंगराव वादी है जिसे वंशावली वृक्ष में भुजंगराव तृतीय के रूप में दर्शाया गया है।

प्रतिवादी स्पष्ट रूप से इससे व्यथित थे, क्योंकि उन्होंने वर्तमान वादी और परिषद में भारत के राज्य सचिव के खिलाफ 1934 का मुकदमा संख्या 23 दायर किया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रार्थना

की गई थी कि "उस मुकदमे में संपत्तियों, अर्थात्, गांवों को आवंटित किया जाए उनके हिस्से में, उनकी स्वतंत्र और निजी संपत्तियां थीं और यदि उन्हें सरंजम संपत्ति माना जाता था, तो उन्हें स्वतंत्र सरंजम के रूप में घोषित किया जाएगा, जो वर्तमान वादी द्वारा धारित संपत्ति से अलग होगी।"

यह मुकदमा वर्तमान वादी के खिलाफ कार्रवाई के समान कारण पर एक नया मुकदमा लाने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया था, लेकिन परिषद में भारत के राज्य सचिव के खिलाफ नहीं। प्रतिवादी । और 2 के अनुसार, यह सरकार और उनके बीच एक व्यवस्था के अनुसार था कि सरकार 17 मार्च, 1891 के पिछले संकल्प के संदर्भ में एक नया संकल्प जारी करेगी।

यह किया गया। 25 फरवरी, 1936 को सरकार ने निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया:-

> " प्रस्ताव; -सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद गवर्नर-इन-काउंसिल सरकार, संकल्प (राजनीतिक विभाग) संख्या 1769 दिनांक 17 मार्च, 1891 में निर्णय की पुष्टि करते हुए प्रसन्न है, और यह घोषणा करता है कि संपूर्ण गजेंद्रगढ़ एस्टेट होगा उक्त संकल्प में बताई गई शर्तों पर एक अहस्तांतरणीय और अप्रभावी सरंजाम के रूप में जारी रखा जा सकता है। हालाँकि, जिस तरीके से संपत्ति के

विभिन्न हिस्सों को परिवार की विभिन्न शाखाओं द्वारा आयोजित किया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए, गवर्नर-इन-काउंसिल ने संशोधन किया सरकारी प्रस्ताव संख्या 8969 दिनांक 7 जून 1932 में निहित आदेशों के अनुसार, यह निर्देश देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सरदार भुजंगराव दौलतराव घोरपड़े, दौलतराव मालोजीराव घोरपड़े और भुजंगराव यशवंतराव घोरपड़े द्वारा धारित उक्त संपत्ति के हिस्सों को अब घोरपड़े परिवार की तीन शाखाओं के प्रतिनिधियों के रूप में उक्त व्यक्तियों द्वारा क्रमशः उक्त संपत्ति में रखे गए वास्तविक हिस्सों के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। उक्त वास्तविक हिस्सों में से प्रत्येक को वंशानुगत रूप से जारी रखा जाएगा जैसे कि यह एक अलग सरनजम संपत्ति थी बॉम्बे रेंट फ्री एस्टेट एक्ट, 1852 और बॉम्बे समरी सेटलमेंट की धारा 2 (3) के तहत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करते हुए गवर्नर-इन-काउंसिल द्वारा सरंजाम की निरंतरता के लिए बनाए गए नियमों के अनुसार अधिनियम (1863 का VII) और ऐसे विशेष आदेश जो गवर्नर-इन-काउंसिल समग्र रूप से गजेंद्रगढ़ एस्टेट के संबंध में या उक्त हिस्से के संबंध में दे

सकते हैं। उपरोक्त हिस्सों की मान्यता और राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग हिस्सों के रूप में उनकी प्रविष्टि को गजेंद्रगढ़ की संपत्ति की किसी भी तरह से आंशिक या हस्तांतरणीय मान्यता के बराबर नहीं माना जाएगा और किसी भी तरह से सरकार के उक्त संपत्ति संपूर्ण अप्रभावी और अविभाज्य सरंजम संपत्ति के रूप में माने जाने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा।

2. गवर्नर-इन-काउंसिल आगे निर्देश देता है कि उपरोक्त हिस्से किसी भी मामले में उप-विभाजन के लिए सक्षम नहीं होंगे और ऊपर उल्लिखित नियमों और आदेशों के अनुसार किसी भी तरह से अलग या भारग्रस्त नहीं होंगे...।"

वर्तमान मुकदमा इस प्रस्ताव को पारित करने में सरकार की कार्रवाई पर हमला है। पहले और दूसरे प्रतिवादी परिवार की अन्य शाखाओं के वर्तमान प्रतिनिधि हैं और तीसरा प्रतिवादी बॉम्बे प्रांत (अब बॉम्बे राज्य) है। वादपत्र में कहा गया है-

"9. सरकार के पास वादी को उसके जीवनकाल के दौरान किसी भी दर पर सरंजम धारक से संबंधित सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों के पूर्ण लाभ से वंचित करने

का अधिकार क्षेत्र नहीं हो सकता है। इसलिए, 8 फरवरी, 1930 का सरकार का आदेश है, अधिकारों से परे और वर्तमान वादी पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं...

10. प्रतिवादी 1 और 2, इसलिए, सरंजम के धारक द्वारा दावा किए जाने वाले किसी भी अधिकार या विशेषाधिकार के हकदार नहीं हैं, जो जी. आर. के अनुसार 'एक अहस्तांतरणीय और अप्रभावी सरंजम' के रूप में जारी है, उदाहरण के लिए ग्राम अधिकारी नियुक्ति के मामले में गजेंद्रगढ़ सरंजाम से संबंधित 27 गांवों में से किसी भी गांव मे।

11. वादकारण अप्रैल 1938 में उत्पन्न और संकल्प और प्रविष्टि अधिकारेतर होने के कारण बाध्यकारी नहीं है...

12. चूंकि यह मुख्य रूप से प्रतिवादी 1 और 2 के खिलाफ राहत का दावा करने वाला मुकदमा है, इसलिए सरकार (प्रतिवादी 3) को 17 मार्च, 1891 व 7 जून 1932 के सरकार के निर्णय को, प्रतिवादी 1 और 2 जिनके पास उस पद पर कोई अधिकार नहीं है जिस पर वे दावा करते हैं, के विरुद्ध उचित प्रभाव देने में सक्षम बनाने के लिए प्रतिवादी 3 को मुकदमे में एक पक्ष बनाया गया है।.."

जिन राहतों के लिए प्रार्थना की गई है वे हैं -

"(क) यह घोषित किया जाए कि प्रतिवादी 1 और 2 को 7 जून 1932 के प्रस्ताव संख्या 8969 के अनुसार सरकार के आदेश के पीछे जाने का कोई अधिकार नहीं है, जिसके तहत वादी राजस्व रिकॉर्ड में एकमात्र सरंजमदार के रूप में मान्यता प्राप्त करने का हकदार है और प्रतिवादी 1 और 2 द्वारा रखे गए समनुदेशन उनके द्वारा केवल पोटगी धारकों के रूप में रखे गए हैं।

(ख) एकमात्र सरंजमदार की अपनी स्थिति के परिणामस्वरूप, वादी को अपने जीवनकाल के दौरान किसी भी दर पर एकमात्र सरंजमदार के पद से संबंधित अधिकारों और विशेषाधिकारों का एकमात्र अधिकार है, जिससे सरंजम एस्टेट से संबंधित सभी गांवों में ग्राम अधिकारी नियुक्ति में उसकी परामर्श किया जा सके, लेकिन पोटगी के लिए प्रतिवादी 1 और 2 को सौंपा गया।

(ग) प्रतिवादी 1 और 2 को वादी के उपरोक्त अधिकार के उल्लंघन में कोई भी कार्य करने या कोई कदम उठाने से रोका जाएगा।

(घ) यह घोषित किया जाए कि प्रतिवादी 3 (सरकार) को 7 जून 1932 के संकल्प संख्या 8969 को बदलने का कोई अधिकार नहीं है, और वादी के जीवनकाल के दौरान किसी भी दर पर।

प्रथम न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर वादी के दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सरकार को अपने प्रस्ताव में संशोधन करने का अधिकार है।

अधीनस्थ अपीलीय अदालत ने भी मुकदमे को तीन आधारों पर खारिज कर दिया: (1) कि 1868 और 1908 के निर्णय प्रांन्याय के रूप में कार्य करते हैं, (2) कि आक्षेपित प्रस्ताव अधिकारातीत है और (3) कि धारा 4 (क) और (घ) राजस्व क्षेत्राधिकार अधिनियम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को वर्जित करता है।

द्वितीय अपील में उच्च न्यायालय ने केवल क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर विचार किया और अधीनस्थ अपीलीय अदालत से सहमत होते हुए अपील को खारिज कर दिया, लेकिन उसने वादी को इस न्यायालय में अपील करने की अनुमति दी।

हमें जिस एकमात्र प्रश्न पर विचार करना है वह अधिकार क्षेत्र का है। बॉम्बे राजस्व क्षेत्राधिकार अधिनियम, 1876 (1876 का बॉम्बे अधिनियम एक्स) की धारा 4, है -

इसके बाद प्रकट होने वाले अपवादों के अधीन, कोई भी सिविल न्यायालय निम्नलिखित क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करेगा -

(क)... सरंजम के रूप में रखी गई भूमि से संबंधित क्राउन के खिलाफ दावे..."

यह दृढ़ता से तर्क दिया गया कि यह क्राउन के खिलाफ दावा नहीं है बल्कि पहले और दूसरे प्रतिवादियों के खिलाफ दावा है। मेरी राय में यह तर्क वादपत्र के पैराग्राफ 9 और 12 और राहत (क) और (घ) के मद्देनजर एक निष्क्रिय तर्क है। किसी भी स्थिति में, श्री सोमैया से पूछा गया कि क्या वह तीसरे प्रतिवादी और वादपत्र के उन हिस्सों को हटा देंगे जिन्होंने इसके खिलाफ राहत मांगी थी। उन्होंने कहा कि वह ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि कोई वादी किसी ऐसे व्यक्ति को एक पक्षकार के रूप में बनाए रखने पर कैसे जोर दे सकता है जिसके खिलाफ वह कोई राहत का दावा नहीं करता है। मैं स्पष्ट हूं कि यह धारा 4 (क) के अर्थ में "क्राउन" के खिलाफ एक मुकदमा है।

अगला सवाल यह है कि क्या, यह मानते हुए कि यह मामला "सरंजम के रूप में रखी गई भूमि से संबंधित" भी है। जहां तक सरकार के खिलाफ मांगी गई राहतों का सवाल है, यह स्पष्ट रूप से मामला है। वादपत्र का पैराग्राफ 9 वादी को सरंजम धारक से संबंधित सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों के पूर्ण लाभ से वंचित करने के सरकार के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देता है। ये अधिकार उन भूमियों के अलावा मौजूद नहीं हो सकते हैं जो सरंजम संपत्ति का हिस्सा हैं और प्रार्थना का निहितार्थ यह है कि सरकार के पास, उदाहरण के लिए, अंतिम सरंजमदार की मृत्यु पर नियम V के तहत या नियम IX के तहत सरंजम को उनके जीवनकाल के दौरान फिर से शुरू करने का कोई अधिकार नहीं है। यह देखा जाना चाहिए कि नियम IX के तहत पुनर्ग्रहण केवल भूमि का हो सकता है क्योंकि नियम निर्देश देता है कि जब सरंजम फिर से शुरू किया जाता है तो सरकार स्वयं इसके हकदार लोगों के भरण-पोषण के लिए "सरंजम फिर से शुरू के राजस्व से" प्रावधान करेगी। ये राजस्व केवल भूमि से ही आ सकता है।

प्रार्थना खंड में राहत (घ) एक घोषणा की मांग करती है कि सरकार को 7 जून, 1932 के संकल्प संख्या 8969 को बदलने का अधिकार नहीं है। वह प्रस्ताव सीधे भूमि से संबंधित है क्योंकि यह निर्देश देता है कि गजेंद्रगढ़ सरंजम को फिर से शुरू किया जाए और कलेक्टर को निर्देश दिया

गया है कि सरंजमदार को सरंजम संपत्ति आदि गांव के कब्जे में लेने के लिए कदम उठाएं।

यह तर्क देना असंभव है कि यह सरंजम के रूप में रखी गई भूमि से संबंधित दावा नहीं है।

इसके बाद यह तर्क दिया गया कि यदि ऐसा है तो सरकार के खिलाफ दावा खारिज किया जा सकता है और वादी को कम से कम अन्य दो प्रतिवादियों के खिलाफ दावा की गई राहत दी जा सकती है। यह तर्क दिया गया कि ये जमीन से संबंधित नहीं हैं और किसी भी स्थिति में "क्राउन" के खिलाफ दावे नहीं हैं।

मेरी राय में यह ऐसा मुकदमा नहीं है जिसमें अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ दावा किए गए अधिकारों को सरकार के खिलाफ दावे से अलग किया जा सके और अलग से विचार किया जा सके। यह वादी के पैराग्राफ 10 से पर्याप्त रूप से स्पष्ट है। पैराग्राफ 9 में वादी को उसके दावे के अधिकारों से वंचित करने की सरकार की शक्ति को चुनौती दी गई है और पैराग्राफ 10 में वादी बताता है कि "इसलिए" पहले और दूसरे प्रतिवादी सरंजमदार के किसी भी अधिकार और विशेषाधिकार के हकदार नहीं हैं। उन अधिकारों में से एक, जैसा कि हम नियम VII और IX से देख सकते हैं, पूरी संपत्ति का राजस्व लेना है ताकि वह परिवार के कुछ सदस्यों को भरण-पोषण के भुगतान के संबंध में अपने दायित्व को पूरा कर सके और

यदि प्रतिवादी सरकार के आदेशों के तहत अपनी भूमि रखने का दावा करते हैं और वादी सरकार को एक पार्टी के रूप में बनाए रखने पर जोर देता है ताकि वह अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ जो डिक्री चाहता है उससे सरकार बाध्य रहे तो यह स्पष्ट है कि इन प्रतिवादियों के खिलाफ उसका दावा सरकार के खिलाफ उसके दावे से अलग नहीं हो सकता है।

किसी भी तरह, यदि सरकार के खिलाफ दावे को नजरअंदाज किया जाना है तो यह केवल इस आधार पर हो सकता है कि उसके आदेशों को चुनौती नहीं दी जा सकती है और यदि आदेश कायम रहते हैं तो यह स्पष्ट है कि वादी को सफलता की कोई उम्मीद नहीं हो सकती है क्योंकि दोनों पक्ष उन आदेशों के आधार पर अपनी-अपनी संपत्तियों को रखते हैं।

बॉम्बे उच्च न्यायालय के दो निर्णयों में यह दृष्टिकोण अपनाया गया है। बसालिंगप्पागौड़ा बनाम भारत के राज्य सचिव एक वतन मामला था, सरकार ने दूसरे प्रतिवादी को वतनदार के रूप में मान्यता दी थी। वादी ने सरकार और दूसरे प्रतिवादी पर मुकदमा दायर किया और घोषणा और निषेधाज्ञा की मांग की। इस दुविधा का सामना करने पर कि सरकार के खिलाफ मुकदमा 1876 के बॉम्बे राजस्व क्षेत्राधिकार अधिनियम की धारा 4 (क) (3) के कारण पोषणीय नहीं है, उन्होंने अदालत से कहा, यहां सरकार को विचार से बाहर रखा जाए और केवल दूसरे प्रतिवादी के विरुद्ध दावा डिर्की किया जाए। विद्वान न्यायाधीशों ने माना कि यह दोनों प्रतिवादियों के

खिलाफ मांगी गई मुख्य राहत को खत्म करने जैसा होगा और मुकदमे का स्वरूप बदल देगा और कहा कि "जब तक राज्य सचिव मुकदमे में एक पक्ष है, ऐसी घोषणा नहीं की जा सकती है।"

दूसरे मामले में, बसनगुड़ा बनाम राज्य सचिव ब्यूमोंट सी.जे. और बेकर जे. ने भी यही विचार रखा। उन्होंने कहा -

> "श्री गुमास्ते, जो अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए हैं, कहते हैं कि उनका दावा सरकार के खिलाफ दावा नहीं है, लेकिन उस मामले में सरकार को हटाना चाहिए। वह सरकार को हटाने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि अगर वह ऐसा करते हैं तो सरकार इन कार्यवाहियों से बाध्य नहीं रहेंगे और अपने राजस्व न्यायाधिकरणों के निर्णय का पालन करेंगे। इसलिए, वह सरकार को एक पक्ष बनाना चाहते हैं ताकि वे बाध्य हो सकें। लेकिन, यदि वे एक पक्ष बने रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ एक वंशानुगत अधिकारी के कार्यालय से संबंधित संपत्ति के संबंध में दावा है, हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बिल्कुल सच है कि अपीलकर्ता सरकार के खिलाफ कोई आदेश प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता है कि किस तरह से संपत्ति से निपटा

जाना चाहिए और वह केवल अपने शीर्षक के बारे में एक घोषणा चाहता है जो सरकार को बाध्य करेगा।"

उनका मानना था कि अदालतों के क्षेत्राधिकार को बाधित किया गया है।

बंबई प्रांत बनाम होर्मूसजी मानेकजी में रिपोर्ट की गई प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति के फैसले के आधार पर यह तर्क दिया गया कि अदालतों के पास यह तय करने का क्षेत्राधिकार है कि सरकार ने अपनी शक्तियों से अधिक काम किया है या नहीं और वह प्रश्न पहले तय किया जाना चाहिए। मेरी राय में यह निर्णय यहां लागू नहीं होता.

न्यायाधिपतिगण 1876 के बॉम्बे राजस्व क्षेत्राधिकार अधिनियम की धारा 4 (ख) के तहत आने वाले एक मामले से निपट रहे थे। यह प्रदान करता है कि -

".. कोई भी सिविल न्यायालय इस संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करेगा...

* * * * *

(ख) प्रांतीय सरकार द्वारा अधिकृत भूमि राजस्व के किसी भी मूल्यांकन की राशि या घटना पर आपत्ति।

जैसा कि वादी-प्रत्यर्थी की ओर से स्ट्रैंगमैन के.सी. द्वारा बताया गया है, "अधिकृत" का अर्थ "विधिवत अधिकृत" होना चाहिए और उस विशेष मामले में आक्षेपित मूल्यांकन विधिवत अधिकृत नहीं होगा यदि 11-4-1930 का सरकारी संकल्प के तहत प्रतिवादी द्वारा जिस समझौते पर भरोसा किया गया था उसे रद्द कर दिया गया था और पूर्ण मूल्यांकन की उगाही को अधिकृत करना भूमि राजस्व संहिता की धारा 211 के तहत अधिकारातीत था। इस प्रकार, धारा 4 (ख) के तहत सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अपवर्जन के लागू होने से पहले, न्यायालय को अधिकारातीत के मुद्दे का निर्धारण करना था। नतीजतन, न्यायाधिपतिगण ने माना कि वह प्रश्न बार के दायरे से बाहर था। लेकिन यहां स्थिति अलग है। हम यहां धारा 4 (क) से चिंतित हैं जिसके तहत सरकार के अधिकृत कार्य के बारे में कोई सवाल नहीं उठता है। यह धारा सामान्य है और सरंजम के रूप में रखी गई भूमि से संबंधित क्राउन के खिलाफ सभी दावों को बाधित करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि, भले ही ऐसी भूमि के संबंध में सरकारी अधिनियम अधिकारातीत था, ऐसे अधिनियम की वैधता पर सवाल उठाने वाला दावा खंड (क) में अपवर्जन के दायरे में आएगा, बशर्ते वह ऐसी भूमि से संबंधित हो।

बॉम्बे उच्च न्यायालय में इस बात पर मतभेद है कि क्या धारा 4 लागू होती है यदि सरकार के खिलाफ मांगी गई एकमात्र राहत एक घोषणा

है। एक ओर कुछ निर्णय यह मानते है कि यह "सरकार के खिलाफ" दावा नहीं है। दत्तात्रेय विश्वनाथ बनाम भारत के राज्य सचिव उस दृष्टिकोण का विशिष्ट है। दूसरी ओर, दौलतराव बनाम सरकार बॉम्बे, गजेंद्रगढ़ संपत्ति से संबंधित एक मामले में, ने दूसरा दृष्टिकोण अपनाया। मेरी राय में बाद वाला दृष्टिकोण सही है।

मेरी राय में, उच्च न्यायालय का निर्णय सही था और मैं लागत सहित अपील को खारिज करता हूं।

पतंजलि शास्त्री, सी. जे- सहमत हूं।

एसआर दास, जे.- सहमत हूं।

अपील खारिज

अपीलार्थी के लिए अभिकर्ताः गणपत राय।

प्रत्यर्थी संख्या 1 & 2 के लिए अभिकर्ता: एम.एस.के. शास्त्री।

प्रत्यर्थी संख्या 3 के लिए अभिकर्ताः पी. ए. मेहता।

चन्द्र प्रकाश सिंह

पारिवारिक न्यायालय, जैसलमेर

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री चंद्र प्रकाश सिंह द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।